

386
2021

रिपोर्ट पटवारी हल्का / आई0एल0आर0
आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार

गुढा गौडजी

श्रीमान जी) राजस्व ग्राम कुडिया में खातेवा विनोद कुमार के लकाय बौफी गिरे न पमावे।
में विनोद कुमार पुत्री इरामलाल दर्ज हो गया है जबकि ग्राम दर्नावेद सक्षमका
घहचानपत आधाक कास में विनोद कुमार पुत्र इरामलाल दर्ज है।
आता: विप्राट श्रीमान जी को पका है।

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौडजी

22-10-21

22-10-21
RHR

क्रमांक : राजस्व / 2020 /

दिनांक :-

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है / उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिशंका की जाती है / की जाती है।

तहसीलदार गुढा गौडजी
उदयपुरवाटी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू (राज.)

-: आदेश :-

दिनांक :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौडजी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी-सम्बन्ध	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	कुडिया	2075-78	136	विनोद कुमार पुत्र इरामलाल	विनोद कुमार पुत्र इरामलाल

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

क्रमांक :- राजस्व / 2020 / 277-278

दिनांक :-

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौडजी को वारते पालनार्थ।
2. प्रार्थी / प्रार्थीयाको सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी (झुंझुनू)

